उत्तर प्रदेश यवासवनी नियम

7वें संशोधन तक

नियम **1**

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ .

इन नियमों को उत्तर प्रदेश शराब बनाने की फैक्ट्री नियमावली, 061 कहा जाएगा और ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

नियम **2.**

परिभाषाएँ**. (6** वां संशोधन**)**

2(1)-परिभाषाएं-जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो. इस नियमावली में

(एक) अधिनियम का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (सयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) से है।

(दो) "बार" का तात्पर्य अधिनियम के अधीन किसी अधिष्ठान हेतु स्वीकृत ऐसे विशेषाधिकार से है जिसके द्वारा विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा की खुली मात्रा में लाइसेंस प्राप्त परिसर में उपभोग हेतु फुटकर बिक्री की जाती है।

(तीन) "बीयर" में एल स्टाउट, पोर्ट तथा माल्ट से बनी अन्य समस्त किण्वित शराब सम्मिलित है।

(चार) "ब्रुअर (यवासवक)" का तात्पर्य यवासवनी (बुवरी) चलाने के लिये प्रपत्र वी-1 मे लाइसेन्स धारक व्यक्ति से है।

(पांच) "ब्रुअरी (यवासवनी)" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जहाँ बीयर बनाई जाती है और इसमें ऐसा प्रत्येक स्थान, जहाँ बीयर संग्रहीत की जाती है या जहां से बीयर की निकासी की जाती है, भी सम्मिलित है।

(छः) "कौपर (देगची)" का तात्पर्य ऐसे पात्र से है जिसमें बीयर बनाने के दौरान वाट्र्स या जल उबाला जाता है या गरम किया जाता है।

(सात) "ड्राट बीयर" का तात्पर्य पाश्चुराइजीकरण से पूर्व वैट/बैरल/कास्क या किसी अन्य पात्र से प्राप्त बल्क बीयर (फिल्टर किया हुआ, कार्बनाइज किया हुआ: तथा सेवा के लिये तैयार) से है।

(आठ) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है।

(नौ) 'किण्वन पात्र" का तात्पर्य ऐसे पात्र से है जिसमें वाट्र्स का यीस्ट की प्रक्रिया से किण्वन किया जाता है।

(दस) 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

(ग्यारह) "घनत्व" का तात्पर्य उस अनुपात से है जिसे द्रव का भार आसवित जल के बराबर मात्रा में धारित करता है, 60 फा० के आसवित जल का घनत्व 1000 होना माना जायेगा।

(बारह) "हौप्स" का तात्पर्य हौप पौधे के पके हुए गादा पुष्पों या उनके किसी भाग से है, जो बीयर बनाने में बीयर को तीखा स्वाद देने और उसे संरक्षित रखने तथा साफ करने में प्रयुक्त होते हैं।

(तेरह) "हौप बैंक" का तात्पर्य ऐसे पात्र से है जिसमें प्रयुक्त हाप्स को हटाने के लिए उबालने के बाद वाट्र्स को ले जाया जाता है।
(चौदह) 'लाइसेंस' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन स्वीकृत लाइसेंस से है।
(पन्द्रह) 'लाइसेंस फीस' का तात्पर्य उस वार्षिक लाइसेंस फीस से है जिसे समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाये।
(सोलह) "माल्ट" का तात्पर्य यवासवन (बुइंग) के लिये प्रयुक्त मूल अंकुरित उन दानों से है जो दीर्घकालीन किण्वन या अन्न के दानों को भिगाने या दवाने की प्रक्रिया के अधीन करने के परिणामस्वरूप प्राप्त होते हैं।
किण्वन के (सत्रह) "माल्ट अनुकल्प" का तात्पर्य किण्व प्रयोजनों के लिए माल्ट के अनुकल्प (सन्सट्यूट) के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए समुचित अनुपात में मिलायी गयी चीनी या स्टार्च से है।
(अठारह) "मश्टन" का तात्पर्य ऐसे पात्र से है जिसमें बुइंग के दौरान माल्ट या अन्न के दाने का किण्वन योग्य अन्तर्वस्तु निष्कर्षित होता है।
(उन्नीस) "लघुयवासवक का तात्पर्य लघु यवासवनी चलाने के लिए प्रपत्र एम०वी०-1 में लाइसेंस धारक व्यक्ति से है।
(बीस) 'लघु यवासवनी' का तात्पर्य ऐसी किसी छोटी यवासवनी से है जिसकी अधिष्ठापित क्षमता छः सौ बल्क लीटर प्रति दिन से अधिक न हो तथा जो होटल, रिसार्ट, रेस्टोरेन्ट एवं वाणिज्यिक क्लब बार हेतु जारी किये गये बार लाइसेंस के परिसर में स्थित हो, जहाँ परिसर के भीतर ग्राहकों के उपभोग हेतु ड्राट बीयर का उत्पादन किया जाता है और उसे परोसा जाता है।
(इक्कीस) "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य आबकारी निरीक्षक या (यवासवनी) का भार संभालने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारी से है जो आबकारी निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो।
(बाईस) "रैकिंग या सैटलिंग बैंक" का तात्पर्य ऐसे पात्र से है जिसमें वाट्र्स, किण्वन पात्र से अन्तरित किये जाते हैं और या तो तत्काल या कुछ समय बाद संचय टंकी (वाट) या पीपे में डाले (रैक किये) जाते हैं।
तेईस) "अन्डर बैक" का तात्पर्य ऐसे पात्र से है जिसमें वार्ट या तो मश्टन से या हाप बैंक से अन्तरित किये जाते हैं।
(चौबीस) "वार्ट" का तात्पर्य यवासवन (बुइग) की प्रक्रिया के दौरान माल्ट या अन्न के दानों के निःशेष करने या सेक्रीन पदार्थ के घोल से प्राप्त शराब से है।

A. यवासवनी की स्थापना

नियम **3.**
(1St संशोधन**)**

३(१) कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राज्य में पवासवनी स्थापित करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने का इच्छुक हो, वह उस जिले के जहां यवासवनी स्थापित करने का प्रस्ताब हो, कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को लाइसेन्स के लिये आवेदन-पत्र देगा। आवेदन-पत्र प्रपत्र ख-१९ में होगा ।
(२) उसका आवेदन-पत्र ग्रहण कर लिए जाने पर आवेदक उस भू-गृहादि तथा पात्रों का प्लान तथा सम्मुर्ण विवरण (जिसे एतद्पश्चात् एन्ट्री कहा जागगा) अन्तुत बारेगा जिसमें प्रत्येक कक्ष तथा पात्र का प्रयोजन और कक्ष तथा पात्र का विशिष्ट चिन्ह उल्लिखित होगा । प्लान ट्रेसिंग कपड़े पर माप के अनुसार होगा जिसमें प्रयोग के लिये प्रस्तावित प्रत्येक कक्ष तथा पात्र की वास्तविक स्थिति तथा लम्बाई चौड़ाई दर्शाये जायेंगे ।
(३) यदि आबकारी आयुक्त का ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाय तो वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिसेः राज्य सरकार आरोपित करना आवश्यक समझे, यवासवनी की स्थापना के लिये प्राधिकृत कर सकता है और प्रपत्र-ख २० में लाइसेंस जारी करेगा। ऐसा लाइसेंस दिये जाने के लिये फीस २५,००० रुपय (केवल पचीस हजार रुपये) होगी जो उस वर्ष या उसके भाग के लिये जिसके निमित्त लाइसेंस दिया जाय, अग्रिम रूप से देय होगी। टिप्पणी- प्रदेश की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आबकारी आयुक्त को यह शक्ति होगी कि वह लाइसेंस के लिये दिये गये किसी आवेदन-पत्र कोस्वीकार या अस्वीकार करें।
(४) उपर्युक्त लाइसेंस,जारी किये जाने के दिनांक से केवल एक वर्ष के लिये विधिमान्य होगा, जब तक कि अवधि विशिष्टतया न बढ़ाई जाय, और विधिमान्यताकी ऐसी अवधि में लाइसेंसवारी यवासवनी की स्थापना हेतु भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी तथा अन्य उपस्कर प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। इससे वीयर के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये जाने के निमित्त कोई अधिकारी अथवा विशेषाधिकार प्राप्त न होगा और इसे, किसी भी समय, लोक-हित में लाइसेंसधारी को लाइसेंस विखंडित करने या उसे वापस लेने की कार्यवाही किये जाने के विरुद्ध कारण बताने का नोटिस देने और उसकी सुनवाई, यदि कोई हो, करने के पश्चात् विखंडित किया अथवा वापस लिया जा सकेगा । जब लाइसेंस इस प्रकार विखंडित किया जाय या वापस किया जाय तो क्षति या हानि के लिये कोई प्रति- कर देय न होगा।
नियम **4.**
४.
(१) सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र ख १ में दिये गये लाइसेंस के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शतों के अधीन रहते हुए न तो किसी बीयर का निर्माण किया जायगा और कोई व्यक्ति वीयर का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी सामान, बर्तन, औजार तथा उपकरण आदि का,जो भी हो, न तो प्रयोग करेगा, न उसको अपने पास और न अपने कब्जे में रखेगा ।
(२) उपर्युक्त लाइसेंस दिये जाने के लिये आवेदनपत्र प्रपत्र ख-२१ में होगा और जो आबकारी-आयुक्त को प्रपत्र स-२० में लाइसेंस दिये जाने के दिनांक से एक वर्षके भीतर प्रस्तुत किया जायगा जब तक कि विनिदिष्ट अन्यथा अनुमति न दी गई हो ।

(३) प्रपत्र ख-१ में लाइसेंस दिये जाने के पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत आबकारी अधिकारी भू-ग्रहादि आदि का निरीक्षण करेगा तथा उपर्युक्त प्लान और एन्ट्री से उसका मिलान करेगा तथा तदनुसार प्रमाण-पत्र देगा।

नियम **5.**

(पहला संशोधन **)**

५--प्रपत्र ख--१ में कोई लाइसेंस सब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि आवेदक ने

(क) आबकारी आयुक्त का यह समाधान त कर दिया हो कि संयंत्र से प्रति दिन कम से कम २५०० लिटर बीयर का उत्पादन किया जा सकता है,

(ख) आबकारी आयुक्त का यह समाधान न कर दिया हो कि बीयर बनाने, उसका संग्रह तथा उसकी निकासी करने के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रस्तावित भवन, पात्र, संयंत्र तथा उपकरण तदर्थ नियमों के अनुसार बनाये गये हैं और आग से बचाने के लिये सम्यक उपाय किये गये हैं

5(सी **)**

(तीसरा संशोधन **)**।

(ग) -- अपने लाइसेंस की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए और ऐसे सभी धनराशियों का भुगतान करने के लिए जो उसके लाइसेंसके उपबन्धों के अधीन उपशुल्क, शस्ति, अर्थ दण्ड तथा कर के रूप में सरकार को देय हो जाय अथवा जिसके लिए यवासवनी विधि द्वारा अथवा नियमों द्वारा, जिसमें विधि का बल हो,या किसी बचन बन्ध या बन्ध-पत्र के अधीन जो उसने किया हो, देनदार हो, प्रतिभूति के रूप में आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर निर्धारित धनराशि जमा की गई हो।

नियम **5.**

(पहला संशोधन **)**

(घ) नियम ७ (१) के अधीन विहित लाइसेंस फीस अग्रिम रूप से जमा कर दी है और वर्ष या उसके भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने के निमित्त लाइसेंस प्राधिकारी को फीस जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है ।

Rule 6.

Power to refuse or grant licence.

(1) Subject to provisions of sub-rule (2), the Excise Commissioner shall have power to grant or refuse any application for licence or for renewal of a licence having regard to actual requirements in the State.

(2) Any person aggrieved with any order of the Excise Commissioner refusing to grant or renew a licence may, within thirty days of the order, apply to the State Government for revision and the Government may make such order in the ease as it thinks fit.

Rule 7.

Form of licence and licence fee for running a brewery.

(1) The fee for the grant or renewal of a licence in Form B-1 shall be as under: **(6th amendment)**

(i) For breweries having an yearly installed capacity up to 5,000 kilolitres Rs. 1,50,000 (Rs. One Lac Fifty Thousand only).

(ii) For breweries having an yearly installed capacity over 5,000 kilolitres and up to 10,000 kilolitres-3,00,000 (Rs. Three Lacs only).
(iii) For breweries having an yearly installed capacity over 10,000 kilolitres, the fee shall be payable by Rs.30 (Rupees Thirty only) per kilo-litre.
(2) Form of licence for bottling of beer.
No brewer shall bottle the beer produced in his brewery without having obtained a licence for the bottling of foreign liquor.

Rule 8.

Forfeiture of and deduction from the security deposit.

In the event of any breach of the excise laws for the time being in force being proved before am officer of the Excise Department not below the rank of the Assistant Excise Commissioner the whole or part of the security deposit as the State Government may deter-mine, shall be forfeited together with the brewery licence. The Excise Commissioner may also direct deduction therefrom of all sums which may become due to the Government by way of duty, licence fee, penalty or fine.

नियम **9.**

लाइसेंस का नवीनीकरण- (**7** वां संशोधन)

आगामी तीन आबकारी वर्षों तक के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन, फॉर्म बी-2 में कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त को वर्ष की 28 फरवरी तक या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संयंत्र या भवन में कोई परिवर्तन हुआ है, तो नए नक्शे प्रस्तुत करने होंगे। यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रभारी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

Rule 10.

Unrenewed licences to be void.

Un-renewed licences shall be null and void and the beer produced in the brewery after the expiry of the licence shall be liable to seizure and confiscation and the parties working the brewery to the penalties provided by law for illicit brewing:
Provided that in the event of renewal of licence being refused, permission may be granted for continuing operations temporarily, for a reasonable time, pending revision before the State Government.

Rule 11.

Removal of beer, etc. after expiry of licence.

On the expiry of his licence (unless a fresh licence has been granted to him), or if his licence is cancelled or suspended, the brewer shall be bound forthwith to pay the duty on, and to remove all beer remaining within the brewery in accordance with the rules in force. Failure to do so within ten days of receipt of written notice from the Collector shall entail on the brewer the liability of meeting the cost of any establishment which it may be necessary to employ at the brewery. In the event of the failure continuing for more than three weeks, the beer shall be liable to be forfeited at the discretion of the Excise Commissioner.

Rule 12.

Office for officer-in-charge to be provided by the brewery

The brewer shall provide, within the brewery enclosure, an office for the officer-in-charge duly equipped with office furniture.

Rule 13.

Residential quarters for Excise Supervisory staff to be provided by the brewer.

The brewer shall also provide residential quarters to the satisfaction of the Excise Commissioner for the Government Excise Establishment posted to the brewery. The rent chargeable from the staff and other conditions of tenancy shall be such as may be determined by the Excise Commissioner.

Rule 14.

Government not liable for loss, etc. of beer in a brewery.

Government shall not be liable for the destruction, loss or damage of any beer stored in a brewery by fire or theft, or by gauging or by any of the cause whatsoever. In case of fire or other accident, the officer-in-charge of brewery shall immediately attend to open the premises at any hour of the day or night.

Rule 15.

Appointment of brewer's agents and other servants.

Rules governing the appointment of distiller's agents and other servants in distilleries shall. apply mutatis mutandis to agents and other servants in breweries.

B. General arrangement and management of breweries

Rule 16.

Distinguishing mark to be painted on each room, place and vessel.

On the outside of the door of every room and place in which business is carried on, and on some conspicuous part of each vessel, there shall be legibly printed in oil colour the name of the vessel, utensil, room or place according to the purpose for which it is intended to be wed. If more than one room or vessel is used for the same purpose each shall be distinguished by a progressive number.

Rule 17.

Manner of fixing of vessels.

Mash-tuns, underbacks, wort receivers, coppers and collecting and fermenting vessels shell be so placed and fixed that contents of each can be accurately gauged or measured.

Rule 18.

All mash-tuns and other vessels to be gauged.

All mash-tuns and fermenting vessels shall be gauged jointly by the officer-in-charge and the licensee. Tables in Form B-3 shall be prepared by the officer-in-charge showing the total capacity of each vessel in imperial gallons (or in case of mash-turns, in imperial bushels) and the capacity of each tenth of an inch in depth.

Rule 19.

Placement of mash-tuns, etc. to admit of gauging and alterations to be intimated to the officer-In-charge.

All mash-tuns, underbacks, coolers, fermenting vessels and settling barks shall be so placed and fixed as to admit to their contents being accurately ascertain-ed by gauge or measure and shall not be altered in shape, position or capacity without two days' notice in writing to the officer-in-charge.

Rule 20.

Regauging necessary after alteration in placement of mash-tuns, etc.

No vessel which has been altered in shape, position or capacity shall again be taken into use unless it has been regauged by the officer-in-charge and new tables worked out by him, if necessary.

Rule 21

Brewers to provide weights, scale and other appliances.

The brewer must provide and maintain adequate number of scales in good working order and weights of correct specification and other necessary and reasonable appliances to enable the officer-in-charge and other officers to take account of or check by weight, gauge or measures, all materials and liquids produced in brewing and provide sufficient lights, ladders, facilities to enable the Excise staff to perform their duties.

C. Control of Breweries

Rule 22.

Excise Commissioner to appoint officer-In-charge of brewery.

Every brewery shall be placed by the Excise Commissioner under the charge of an Excise Inspector to be designated as officer-in-charge of the brewery. The Excise Commissioner will, further, appoint such other officer of the Excise Department as he may deem fit to the charge of breweries. The pay of all such officers shall be met by the Government; provided that when the annual charges exceed ten per cent of the duty leviable on the issues made from the brewery to districts within the State, the excess shall be realised from the brewer.

Rule 23.

Control.

The officer-in-charge will, unless otherwise directed, work under the supervision of, and correspond with the Assistant Excise Commissioner in whose territorial charge the brewery lies.

In all ordinary matters regarding the working of the breweries, the brewers should, in the first instance, apply to the officer-in-charge, who will, if necessary, secure orders.

नियम **24**

(i) शराब बनाने के परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश और व्यवहार पर प्रभारी अधिकारी का नियंत्रण **(**चौथा संशोधन **)**

24 (एक)यवासवनी के परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश और व्यवहार पर प्रभारी अधिकारी का नियंत्रण रहेगा आसवनी परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश और व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम आवश्यक संशोधन के साथ यवासवनी के परिसर में व्यक्तियों के प्रवेश और व्यवहार के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(दो) यवासवनियों से बीयर की निकासी पर नियंत्रण :- यवासवनी के प्रवेश / निकास द्वार पर यवासवक द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना निम्नवत् प्रक्रियानुसार की जायेगी:-

1. यवासवनियों में प्रवेश एवं निकास हेतु केवल एक ही द्वार होगा।

2. यवासवक द्वारा प्रवेश /निकास द्वार पर सी.सी.टी. वी.कैमरे की स्थापना की जायेगी।

3. सी.सी.टी.वी. कैमरे 24 घंटे संचालित तथा निरन्तर कार्यशील रहेंगे।

4. यवासवनियों में सी.सी.टी.वी.कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायेंगे, जिससे यवासवनी में बीयर और अन्य उत्पादन लेकर प्रवेश करने वाले तथा बाहर जाने वाले समस्त वाहनों की नम्बर सहित रिकार्डिंग हो सके।

5. सी.सी.टी.वी. की रियल टाइम मानीटरिंग मुख्यालय से इण्टरनेट के माध्यम से करने हेतु यवासवक द्वारा अपने कैमरा /कम्प्यूटर का आई. पी. एड्रेस आबकारी आयुक्त, उ०प्र० को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. सी.सी.टी.वी. से की जाने वाली एक माह की रिकार्डिंग पूर्ण हो जान पर उसकी डी०वी०डी०/ हार्डडिस्क / पोर्टेबिल डिस्क बना ली जायेगी और उक्त डी०बी०डी० / हार्डडिस्क / पोर्टेबिल डिस्क पर रिकार्डिंग की अवधि अंकित की जायेगी।
7. डी0वी0डी0 / हार्डडिरक /पोर्टेबिल डिस्क पर प्रभारी अधिकारी यवासवनी /यवासवनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
8. उक्त मीडिया की एक प्रति प्रभारी अधिकारी यवासवनी के पास तथा दूसरी प्रति यवासवनी प्रबंधन के पास तथा तीसरी प्रति आबकारी आयुक्त, उ०प्र० के कार्यालय में अनुरक्षित होगी।
9. एक माह की उक्त स्टोरेज मीडिया तैयार होने के बाद अगले 12 माह तक अनुरक्षित रखा जायेगा।

नियम **25.**

आबकारी अधिकारियों की उपस्थिति के घंटे और उन्हें दी जाने वाली छुट्टियाँ : -

आसवनी में तैनात आबकारी अधिकारियों की उपस्थिति के घंटे, उनको दी जाने वाली छुट्टियां तथा उनके द्वारा किए जाने वाले ओवरटाइम कार्य से संबंधित नियम, शराब बनाने वाली भट्टियों में तैनात आबकारी अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

Rule 25.

Hours of attendance of and holidays allowed to Excise officials: -

Rules governing the hours of attendance of Excise officials posted to distilleries, holidays allowed to them and overtime work by them, shall govern Excise officials posted to breweries also.

Rule 26.

Special duties of officer-in-charge posted to brewery.

It shall be the special duty of the officer-in-charge to see that-

(i) the brewer's licence in the prescribed form B-1 is renewed in time;

(ii)the brewer makes entry of his premises and utensils in the prescribed form 11-2;

(iii) the vessels and rooms in the brewery are properly numbered and marked;

(iv) the entries made by the brewer in the brewing book in form B-1 are promptly and correctly made;

(v) no materials other than those entered by the brewer in the brewing book are used;

(vi) no worts are removed from the brewery until an account of them has been taken; and

(vii) the rules prescribed for the management of breweries are strictly followed.

Rule 27.

Instruments to be supplied:-

The officer-in-charge shall place indent on the Excise Commissioner through the Assistant Excise Commissioner for instruments, such as saccharometers and thermometers, as are necessary, and will maintain an account thereof in form B-5. He will be responsible for their safe custody and if any instrument is broken or lost for want of proper care, he may be required to make good such loss or damage.

Rule 28.

Brewery open to inspection by officers.

The brewer shall, at any time, permit the Collector, the District Excise Officer, or any officer of the Excise Department not below an Excise inspector in rank, in whose jurisdiction the brewery lies to inspect and examine his brewery, the premises, warehouses, utensils connected therewith, any room, place or utensil and the beer made or stored therein and shall render the inspecting officer all proper assistance in making such inspection and examination.

Rule 29.

Notice before brewing.

The Excise Commissioner may require any brewer to send to the officer-in-charge, 48 (forty-eight) hours before brewing, a written notice of his intention to brew.

Rule 30.

Use of deleterious matter prohibited. -

The Excise Commissioner may prohibit the use of any material in the manufacture of beer, which, in his opinion, is of deleterious nature.

Rule 31.

Analysis of sample.

The officer-in-charge or any inspecting officer may take without payment, for the purpose of analysis, samples of any beer or material used in the manufacture thereof.

Rule 32.

Sampling.

All samples taken will recorded by the officer-in-charge in the resister in F B-6 and will be forwarded by him direct the Chem Examiner, U.P. Government, Agra, along with an-vice note stating the nature of the examination or analysis required.

Note- samples should be prepared for despatch in accordance with the instructions contained on page 125 of Technical Excise Manual.

D-Mode of Working

Rule 33. Brewer's book.

The brewer shall keep a book in form B-4 and shall observe the follow rules in relation to it and to the entries to be ma therein:

(1) "He shall keep the book in some part of licensed premises, ready at all times, for the inspection of the Collector, the officer-in-cha or any other officer of the Excise Department not below such rank as the State Government may prescribe and shall permit any such officers is duly empowered to inspect the Brewery any time, to inspect the book and take extra therefrom".

(2) He shall enter separately in the book in quantity of malt, corn, sugar, hops and substitutes which he intends to use in his brewing and also the day and hour when next brewing is intended to take place.

(3) He shall make such entry, so far inspector the day and hour of brewing, at least twenty-four hours before he begins to mash any malt or dissolve any sugar, and so far as respects to quantity of malt, corn, sugar, hops and he substitutes at least two hours before the entered for brewing.

(4) He shall, at least two hours before the hot entered for brewing, enter the time when all the worts will be drawn off the grains in the mash

(5) He shall, within one hour of the wort being collected in the fermenting vessels or, if worts be not collected before six in the afternoon before eight in the forenoon on the following day, eater the dip and gravity of worts produce from each brewing, and also the description and number of the vessels into which the wort have been conveyed.

(6) He shall, at the time of making any entry insert the date when the entry is made.
(7) He shall not cancel, obliterate or alter an entry in the book, or make therein any entry which is untrue in any respect. Should it b necessary to correct any entry, a line shall b drawn through the incorrect entry in such manner as to leave it distinctly visible, and the amended entry shall be inserted above it; ever; correction shall be initialled by the person making it at the time.

Rule 34.

Produce of any brewing not to be mixes with that of another unless accounted for.

The brewery shall keep the produce of any brewing separate from the produce of any other brewing unless an account (regarding bulk and gravity) of each has been taken by the officer-in-charge.

Rule 35.

Notice to be given when mixing to take place.

The brewer shall not mix the produce of one brewing with that of another except in store vats of casks, unless he shall have given previous notice in writing the officer-in-charge, when mixed, the brewer shall specify the quantity and gravity of the resultant mixture.

Rule 36.

Time prescribed for grain to remove in mash-tuns after the worts are drawn off.

All grain in a mash-tun must be kept untouched for one hour after the time entered in the book as the time for the worts to be drawn off, unless the officer-in-charge has attend-ed and taken account of such grain.

Rule 37.

Worts to be drawn off in the order of production. All worts shall be removed successively, and in the customary order of brewing, to the under-back coppers, coolers and fermenting vessels, and shall not be rem removed from the last-named vessel until an account has been taken by the officer-in-charge or until after the expiry of twenty-four hours from the time at which the worts are collected in these vessels.

Rule 38.

Time fixed for collection of the product of brewing. When worts shall have commenced running into a fermenting vessel, the whole of the produce of the brewing shall be collected within eighteen hours.

Rule 39.

Extraction of spirit from refuse prohibited. No liquor except beer shall be manufactured within the brewery premises. No attempt shall be made. to extract spirit from grain or the refuse of the brewery.

Rule 40.

Addition to beer of materials other than finings prohibited.

The brewer shall not dilute. adulterate or add anything to beer except finings or other matters sanctioned by the Excise Commissioner.

E-Issues of Beer

Rule 41. Beer not to be issued until Consideration Fee paid or bond executed-(5th amendment)

No beer shall be removed form a brewery until the Consideration Fee imposed under section 28 of the U.P. Excise Act, 1910 (Act no. IV of 1910) has been paid or until a bond, under section 19 of the Act, in Form B-7 or B-t 8 has been executed by the brewer for export of beer outside the State, direct from the brewery.

Rule 42.
Modes of realising duty. Duty shall be realised in either of the two ways, viz.
(i) by payment in cash either in the local sub-treasury or in the Sadar treasury of the district, if there is no sub-treasury in the station,
(ii) by book credit from any advance account kept for the purpose.
Rule 43.
Mode of tendering duty in cash.
If the brewer wishes to pay duty in cash in be shall present an application in Form B-9 in triplicate at the treasury or sub-treasury, as the case may be, correctness whereof shall be duly verified by the officer-in-charge. The accountant of the treasury or sub-treasury shall, after verifying that the amount tendered has been deposited with the treasurer, fill up the figure in the endorsement in all the copies of the application. He shall then present then to the officer-in-charge of the treasury of sub-treasury who shall sign them in token of receipt of the amount tendered and stamp them. Ons copy of the application shall then be given to the applicant, the second copy forwarded to the officer-in-charge of the brewery and the third copy retained for record.
Rule 44. Payment of duty from brewer's advance deposit. Browers are permitted to make advance payments on account of excise duty on beer to be removed from time to time from the brewery. Such removals hall be permitted upto the limit of the advance, with-out separate payment of duty on account of each. consignment of beer removed. No original advance deposit shall be of less than Rs.2,000 and each time an advance is replenished, it must be of a sum which brings it up to not less than that amount.
44 (क)
फीस का जमा किया जाना- यवासवनियाँ बीयर की थोक बिकी से प्राप्त मांग पत्र में अन्तर्विष्ट प्रतिफल फीस और अतिरिक्त प्रतिफल फीस को ऐसे मांग-पत्रों की प्राप्ति से 2 कार्य दिवसों के भीतर राजकीय कोषागार में जमा करेंगी, जिसमें विफल होने पर 5000/- रूपये (पांच हजार रूपये) प्रतिदिन यवासवनी पर शास्ति अधिरोपित की जायेगी।
Rule 45.
Form of applications for removal of beer against advance deposit.
Applications for the removal of beer the duty on which will be debited against the advance will be in Form B-10.
Form of register of advance deposit. The register of advance deposit will be in Form B-11.
Rule 46.
Removal of beer from brewery not permitted save under a pass.
No beer shall be removed except under a pass in Form B-12 granted by the officer-in-charge empowered in this behalf. The pass shall be issued either on proof of full payment of duty or of proof of execution of bond. It shall be in triplicate, one copy shall be made over to cover the transport or export, the second forwarded to the Chief Revenue Authority of the district of import or transport and the third retained for record.
Rule 47.
Modes of issue of beer from brewery-Issues may be made from the brewery as under-
(i) On pre-payment of duty for transport to the wholesale premises of the brewers.
(ii) For export under bond to other states in India.
Rule 48.
Pass required for export under bond-

Any person may export under bond beer manufactured at a brewery in Uttar Pradesh to any place in India under a pass in Form B-12 granted by the officer-in-charge of the brewery empowered in this behalf and in accordance with the rules relating to ex-port of foreign spirit under bond. The generate bond-to be executed shall be in Form B-7 and the special bond in Form B-8.

F-Allowable wastage and refund of duty

Rule 49.

Destruction by accident.

When any malt liquor on which duty has been charged or paid is destroyed by accidental fire or other unavoidable causes while the same is on the specified premises of a brewer, as given in his entry, the State Government may, on proof of such loss to their satisfaction, remit or order to be repaid the duty so charged or paid.

Rule 50.

Refund of duty.

(1) When beer on which duty has been charged and paid becomes unfit for consumption as such, the Excise Commissioner may, or receipt of formal claim from the brewer, through the Collector, order a refund of duty, provided such claim is preferred within six months of payment of duty.

(2) If the beer has been returned, the fact must be reported to the officer-in-charge as soon as the invoice is received. The consignment shall on receipt be got checked by the officer-in-charge and claim preferred shall be got attested by him.

(3) The claim must contain

(a) a declaration that the beer which is the subject of claim was brewed by the brewer;

(b) a statement of the circumstances to which the claim is due;

(c) a statement of date or dates on which the beer was brewed, and the quantity and the original gravity of each lot of beer referred to in the claim, and

(d) a statement that it is proposed to dispose of the beer either

(i) by destroying, or (ii) by con verting it into vinegar.

(4) When required to do so the brewer must give satisfactory proof of any fact mentioned in the claim.

(5) When the Excise Commissioner's order regarding refund has been received the Collector shall make the refund as soon as the Assistant Commissioner of the charge furnishes a certificate in Form B-13 or B-14 that the beer had been (i) destroyed in his premises, or (ii) turned into vinegar.

Rule 51.

Beer on which refund of duty is claimed may be examined-

In the case of refunds on beer returned to the brewery of issue, the Collector may require the applicant to produce, in whole or part, the beer on which refund of duty is claimed and may have any portion of the beer, on which refund is claimed, tested or analysed in any way he thinks fit; and may depute any officer to make any inquiry or examination concerning the said beer which the Collector for may consider necessary.

Rule 52.

Quarterly account-

On the 7th of the first month after the close of each quarter of the excise year an account, in Form B-15, shall be forwarded by every brewer to the Assistant Excise Commissioner of the charge, in which shall be shown the total quantity of beer returned unsold to the brewery, and the amount claimed or received as refund of duty. The Assistant Excise Commissioner shall, after testing the corrections of the entries, forward a copy to the Excise Commissioner for recording his office on the 15th of the month succeeding the close of the quarter.

Rule 53.

Quarterly examination of stock-

The accounts of a brewery and the stock of beer in hand in the brewery shall be examined by the Assistant Excise Commissioner once a quarter. If the quantity of the beer in stock in the brewery on such examination be found to exceed the quantity shown as in hand in the stock account, the brewer shall be liable to pay duty on such excess at double the rate prescribed for ordinary issue. If the quantity be found less than that shown in the stock account, the cause of the deficiency shall be inquired into and the result reported to the Excise Commissioner, who may direct the levy of a fine not exceedingly double the amount represented by the duty on such defect.

Provided that any deficiency not exceeding 10 per cent shall be disregarded, allowance to the extent being made to cover loss in bulk due to evaporation, sullage and other contingencies within the brewery. This allowance shall be calculated upon the amount represent-ed by the actual ascertained balances in hand at the date of the last stock-taking. together with the total quantity since manufactured or received, as shown in columns 2 and 3 of the register of manufacture and istle (Form B-16).

G-Supervision

Rule 54.

Inspection by Assistant Excise Commissioner-

The Assistant Excise Commissioner of the Charge will inspect the brewery at least once in every two months.

Rule 55.

Trade secrets-

The officer-in-charge is strictly enjoined to abstain from divulging to any person the nature or extent of the brewers' operations.

Rule 56.

Gauging of mash-tun-

Mash-tuns should be ganged by the dry method, the measurements being taken above the false bottom, but the tables should be worked out by the wet method, that is from the top of the false bottom, and no drip need be taken into account.

Rule 57.

Intermediate gauges and gravities in breweries to be checks only -

All gauges and gravities taken during the course of a brewing are to be deemed checks only, and should not form the basis of any charge for duty or calculation of out-turns.

Rule 58.

Officer-in-charge not to ascertain dips and gravities for licensee –

The officer-in-charge nay not ascertain for the licenses the quantity or gravity of any worts collected.

H-General

Rule 59.

Registers to be maintained by the officer-In-charge and the brewer-

The following registers shall be maintained in a brewery-

(A) by the officer-in-charge:

(i) Register in Form B-6 of samples of malts and worts taken for analysis.

(ii) Register of gauge tables in Form B-3.

(iii) Register in Form B-11 of issues of beer against deposit of duty.

(iv) Register of manufacture and issue of beer in Form B-16.

(v) Register in Form B-17 of beer returned unsold to the brewery.

(B) by the brewer:

(i) Register in Form B-2 showing details of entry regarding premises and utensils.

(ii) Brewing book in Form B-4.

Rule 60.

Submission of annual statement of breweries-

Every brewer shall submit to the Collector through the officer-in-charge a statement in duplicate in Form B-18 relating to his brewery in respect of the excise year by December 5. The Collector after satisfying himself that the entries made are correct, shall forward one copy of the statement to the Excise Commissioner, by December 15. The Excise Commissioner shall submit to the State Government, by January 15, a consolidated statement in Form B-18.

Rule 61.

The brewer shall be bound to report to the -officer-in-charge any case in which any person employed by him has been found to have committed any breach of the excise laws or of the terms and conditions of service regulating his employment.

नियम **62** -

माइक्रोब्रूअरी लाइसेंस **– (6** वां संशोधन**)**

लघु यवासवनी हेतु लाइसेंसहोटल / रिसोर्ट / रेस्टोरेन्ट / वाणिज्यिक क्लब हेतु जारी बार लाइसेंस युक्त परिसर में ड्राट बीयर का उत्पादन किये जाने एवं उसे परोसे जाने के लिये प्रपत्र एम0बी0-1 में लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।

63- लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया-

[1] कोई व्यक्ति जो होटल / रिसोर्ट / रेस्टोरेन्ट / वाणिज्यिक क्लब हेतु बार लाइसेंस धारण करता हो और लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस प्राप्त करना चाहता हो, उस जिले के जिलाधिकारी जहाँ लघु यवासवनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो, के माध्यम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को आवेदन करेगा। लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र, प्रपत्र एम०बी०-2 में किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे:- (एक) किसी वर्ष अथवा उस वर्ष के आंशिक भाग जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत हो, के लिए अग्रिम में जमा किया गया रुपये 50,000/- (पचास हजार रूपये) का ट्रेजरी चालान ।

(दो) अक्षांश एवं देशान्तर सहित परिसर का पूर्ण विवरण । (

तीन) प्लान्ट की प्रतिदिन की अधिष्ठापित क्षमता ।

(चार) प्रस्तावित लघु यवासवनी के निर्माण हेतु विवरण एवं मानचित्र

(पांच) लघु यवासवनी की स्थापना हेतु उपकरणों का विवरण

(छः) विधिमान्य बार लाइसेंस की प्रति
(सात) प्रपत्र एम०बी०-3 में घोषणा-पत्र
(आठ) आवेदक को बाध्यकारी करते हुए भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार अपेक्षित मूल्य के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विहित प्रपत्र एम0वी0-4 में ऐसा वचनबंध कि वह उत्पादों की विशिष्टताओं तथा गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु समय - समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित मानकों के अनुसार उपकरण परिनिर्मित करेगा।
[2] प्रत्येक आवेदन पत्र के विवरण की, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जायेगी। तत्पश्चात् जिलाधिकारी अपनी संस्तुति, आबकारी आयुक्त को लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु अग्रसारित करेगा।
[3] ऐसी जांच जैसा कि वह उचित समझे, कराये जाने पर और आवेदक की नियमितता तथा कार्यक्षमता के सम्बन्ध में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् आयुक्त, राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रपत्र एम0वी0-5 में लघु यवासवनी स्थापना हेतु लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है।
[4] लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक एक वर्ष के अन्तर्गत उपकरण परिनिर्मित करेगा, जिसमें विफल रहने पर उप नियम (1) के अधीन संदत्त फीस समपहृत हो जायेगी। यदि लाइसेंसधारक, विशिष्टताओं तथा गुणवत्तायुक्त मानकों के अनुसार यवासवनी चलाये जाने में विफल रहता है तो स्वीकृत लाइसेंस किसी नुकसान या क्षति के प्रतिकर के बिना निरस्त किये जाने योग्य होगा। लाइसेंसधारक छ. माह तक लाइसेंस के विस्तार हेतु रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) के अतिरिक्त फीस का भुगतान करके आवेदन कर सकता है।
[5] लघु यवासवनी की स्वीकृति हेतु लाइसेंस फीस दो लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी।
[6] जैसे ही उपकरणों की स्थापना हो जायेगी, लाइसेंसधारक लघुयवासवनी के सम्बन्ध में प्रपत्र एम0वी0-6 में आवेदन, प्रपत्र एम०बी०-5 लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर आबकारी आयुक्त को जमा करेगा, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा किये जायेंगे:-
(एक) लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु लाइसेंस फीस हेतु अपेक्षित धनराशि का चालान (दो) अपेक्षित धनराशि की प्रतिभूति जमा की नियत जमा रसीद;
(तीन) स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण :
(चार) करार का प्रतिलेख
(7) जहाँ आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि लाइसेंसधारक ने शर्तों को पूरा कर लिया है और विशिष्टता तथा गुणवत्तायुक्त मानकों के अनुसार बीयर का उत्पादन करने हेतु तैयार है, तो वह लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस, प्रपत्र एम०बी०-1 में स्वीकृत कर सकता है। (8) प्रपत्र एम०बी०-1 में लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत आबकारी अधिकारी परिसर आदि का निरीक्षण करेगा और पूर्वोक्त योजना एवं प्रविष्टियों से उसका मिलान कर तनुसार सत्यापित करेगा।
(9) किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन नहीं किया जायेगा और कोई व्यक्ति, बीयर उत्पादन के प्रयोजनार्थ किसी पदार्थ, बर्तन, साधन एवं उपकरण जो भी हो, का बिना किसी प्राधिकार के और आबकारी आयुक्त

द्वारा प्रपत्र एम0वी0-1 में स्वीकृत लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन उपयोग नहीं करेगा अथवा अपने पास नहीं रखेगा।

(10) निम्नलिखित आबकारी वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिये आवेदन 2.00 लाख रूपये (दो लाख रूपये) की ट्रेजरी चालान के साथ प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को या इससे पूर्व जिलाधिकारी के माध्यम से प्रपत्र एम.बी.-7 में किया जायेगा। यदि प्लान्ट या भवन में परिवर्द्धन हुआ हो तो नया मानचित्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई परिवर्द्धन न किया गया हो तो प्रभारी अधिकारी की ओर से इस आशय का प्रमाण-पत्र, लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

64-लघु यवासवनियों हेतु लाइसेंस स्वीकृत किये जाने पर प्रतिबन्धप्रपत्र एम.बी.- 1 में लाइसेस तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक लघु यवासवनी संयन्त्र हेतु प्रयुक्त स्थान सहित बार परिसर का न्यूनतम क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर न हो।

65-लघु यवासवनी लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु अपात्र व्यक्ति- निम्न व्यक्ति लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र नहीं हैं:-

(एक) 21 वर्ष से कम के आयु के व्यक्तिः

(दो) ऐसे व्यक्ति जो अनुन्मोचित दिवालिया हों या जो अपराधों या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) या गैरजमानतीय अपराधों के लिए दोषी ठहराये गये हों,

(तीन) (तीन) सरकार के आबकारी राजस्व के भुगतान में व्यतिकमी हों;

66- निदेशों का अनुपालन करने में विफल होने पर लघु यवासवनी के आवेदन पत्र को निरस्त किया जाना- यदि लाइसेंसधारक, विशिष्टियों तथा गुणवत्तापरक मानकों के अनुसार यवासवनी चलाने में विफल हो तो स्वीकृत लाइसेंस, किसी क्षति या नुकसान के बिना रद्द किये जाने योग्य होगा।

नियम **67.**

67-लघु यवासवनी लाइसेंस की अवधि एवं कारबार प्रारम्भ किया जाना

प्रत्येक लघु यवासवनी का लाइसेंस तीन वर्ष तक के लिये, जो 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष, जैसा कि उल्लिखित हो, तक के लिए यथाविहित लाइसेंस फीस का भुगतान किये जाने के अध्यधीन विधिमान्य होगा।

परन्तु यह कि 1 अप्रैल या उसके पश्चात जारी किया गया लाइसेंस भी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष जैसा कि उल्लिखित हो, तक विधिमान्य रहेगा।

68- लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस फीस-

(1) लाइसेंस फीस दो लाख रूपये प्रति वर्ष होगी। लाइसेंस फीस का भुगतान लाइसेस प्राप्त परिसर के स्थित होने वाले जिला में सम्बन्धित कोषागार को ट्रेजरी चालान के माध्यम से किया जायेगा।

(2) लाइसेसधारी, आबकारी आयुक्त के नाम से किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी सावधि जमा रसीद के रूप में 100000.00/- रूपये (एक लाख रूपये) की प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करेगा। 69-लघु यवासवनी लाइसेंस का अभ्यर्पणलाइसेंसधारी को लाइसेंस अभ्यर्पित करने के एक माह पूर्व नोटिस देना होगा।

70- लघु यवासवनी में प्रतिभूति का समापहरण किया जाना- जहा कोई लाइसेंस, लाइसेंस के नियमों तथा शत का उल्लंधन किये जाने के कारण निरस्त या निलम्बित हो जाता है वहां आबकारी आयुक्त,

लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रतिभूति जमा को उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर पूर्णतः या आंशिक रूप से समपहृत करने का आदेश दे सकता है और ऐसी समपहृत धनराशि की प्रतिपूर्ति लाहसेंसधारी द्वारा 15 दिनों के भीतर की जायेगी। यदि लाइसेंसधारी निर्धारित समय में समपहृत प्रतिपूर्ति की सीमा तक प्रतिपूर्ति करने में विफल रहता है तो लाइसेंस स्वतः निरस्त हुआ समझा जायेगा।

नियम **71.**

माइक्रोब्रेवरी लाइसेंस की शर्तें-**(7 वां संशोधन)**

71-लघु यवासवनी के लाइसेंस की शर्ते

(1) लाइसेंस धारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के उपबन्धों और तद्दीन जारी अधिसूचनाओं तथा आदेशों द्वारा आबद्ध होगा।

(2) लाइसेंसधारी ड्राट बीयर के उत्पादन, संचयन एवं परोसने को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों तथा आदेशों का अनुपालन करेगा।

(3) लाइसेंसधारी अपनायी जाने वाली बीयर उत्पादन की प्रक्रिया तथा उत्पादित किये जाने वाली तथा परोसे जाने वाली बीयर के मानकों तथा गुणवत्ता के सम्बन्ध में राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों से आबद्ध होगा।

(4) लाइसेंसधारी लघु यवासवनी में वाश का घनत्व मापने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सेकोमीटर एवं थर्मामीटर उपलब्ध करायेगा। ड्राट बीयर की तीव्रता मापने के लिये एक हाइड्रोमीटर भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) ग्राहकों को प्रस्तुत तथा उपलब्ध करायी जाने वाली बीयर में अल्कोहल की मात्रा 8% वी०/वी० से अधिक नहीं होगी।

(6) मैच्योरेशन स्तर तक ब्रू का पी०एच०, तापमान एवं विनिर्दिष्ट घनत्व प्रपत्र एम0बी0-8 में अभिलिखित किये जाने चाहिये और वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा माँग किये जाने पर निरीक्षण के अध्यधीन होंगे।

(7) परिसर को समुचित वातायन एवं प्रकाश व्यवस्था सहित साफ-सुथरा रखा जायेगा और यह समस्त प्रकार की सुरक्षा तथा आपात मानकों के अनुरूप हो और साथ ही साथ ग्लास, परोसने की मेज आदि सहित बीयर वितरण प्रणाली को स्वास्थ्य की दृष्टि से सदैव अनुरक्षित रखा जाय।

(8) संचय टैंकों एवं परिसर में समय-समय पर धूम्रीकरण प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा और उसे अभिलेखों में अनुरक्षित किया जायेगा।

(9) किसी भी दशा में नाबालिगों को बीयर या अन्य अल्कोहलिक पेय परोसा नहीं जायेगा।

(10) लाइसेंस फीस एवं यथा विनिर्दिष्ट आबकारी शुल्क का संदाय अग्रिम रूप से किया जायेगा।

(11) लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट रूप से रजिस्ट्रीकृत बीयर के सिवाय अन्य किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा।

(12) लघु यवासवनी में निकासी से संबन्धित लेन-देन का लेखा जोखा, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित रूप में अनुरक्षित किया जायेगा।

(13) लाइसेंसधारी बीयर के उत्पादन एवं बिक्री से सम्बन्धित यथाअपेक्षित आंकड़े की किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध करायेगा।

(14) इस नियमावली के किसी उपबन्ध अथवा तद्दीन जारी किये गये अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने तथा लाइसेंस की शर्तों को भंग किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारी इकाई के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(15) लघु यवासवनी की अधिष्ठापित क्षमता, प्रतिदिन 600 (छः सौ) बल्क लीटर और किसी वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 2.10 लाख (दो लाख दस हजार) बल्क लीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।

(16) इस प्रकार उत्पादित ड्राट बीयर को न बोतलों में भरा जायेगा और न हीं परिसर से बाहर उसकी बिकृय किया जायेगी। ड्राट बीयर को गिलास / पिचर में परोसा जायेगा।
(17) संचय टैंकों से तैयार उत्पाद को उपभोग के स्थान हेतु जब अपेक्षित होगा, निकाला जायेगा।
परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा भू-गृहादि के बाहर ड्राट बीयर के उपभोग की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
(18) लघु यवासवनी में उत्पादित बीयर की सेल्फ लाइफ मात्र 72 घंटे होगी।
(19) लाइसेंसधारी, को लघु यवासवनी संयन्त्र वाले कक्ष में ऐसा सी०सी०टी०वी० कैमरा स्थापित करना होगा, जिससे आबकारी मुख्यालय से आई.पी. ऐड्स के माध्यम से सुगमता पूर्वक अनुश्रवण किया जा सके।
(20) लाइसेंसधारी आबकारी विभाग के विनिर्दिष्ट वेब साइट पर सुसंगत सूचना एवं लेखा-जोखा ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।

नियम **72.**

माइक्रोब्रेवरी में रसायनज्ञ की नियुक्ति और सौंपे गए कर्तव्य और कार्य - (6 वां संशोधन)

(1) लाइसेंसधारी एक ऐसा रसायनज्ञ अभिनियोजित करेगा जो रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान या बायो केमिस्ट्री या अल्कोहल प्रोद्योगिकी में डिग्री धारित करता हो। (2) लाइसेंसधारी को एक ऐसे पूर्ण कालिक मुख्य यवासवक को नियुक्त करना होगा जिसके पास 3 वर्ष का औद्यौगिक अनुभव एवं किसी भी ख्याति प्राप्त यवासवन शैक्षिक संस्थान का प्रमाण-पत्र हो । विदेशी कार्य अनुभव एवं विदेशी शैक्षिक संस्थायें भी स्वीकार्य होंगे।
(3) रसायनज्ञ लघु यवासवनी में प्रयुक्त कच्चे माल और उत्पादित बीयर की गुणवत्ता की जांच करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।
(4) रसायनज्ञ की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जायेगा।
(5) लघु यवासवनी में इस प्रकार उत्पादित बीयर को बिक्री / उपभोग हेतु उक्त रसायनज्ञ द्वारा यह प्रमाणित किये जाने के पश्चात् अवमुक्त किया जायेगा कि यह बीयर मानव उपभोग हेतु उपयुक्त है। लाइसेंसधारी के अतिरिक्त रसायनज्ञ बीयर की विशिष्टताओं, गुणवत्ता तथा सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
(6) प्रत्येक वैच के नमूने का परीक्षण उक्त रसायनज्ञ द्वारा किया जायेगा। बीयर का नमूना मासिक तौर पर लेकर सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रासायनिक परीक्षक को विश्लेषण हेतु प्रेषित किया जायेगा, जिसे रासायनिक परीक्षक द्वारा पारित किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट को लघु यवासवनी के परिसर में ऐसे सहजदृश्य स्थान पर लगाया जायेगा जो उपभोक्ताओं हेतु सुलभ हो।

73-लघु यवासवनी में बीयर का भण्डारण (7 वां संशोधन)

जैसे ही बीयर के एक बैच का उत्पादन किया जायेगा, वैसे ही उसे संचय कक्ष में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और इस प्रकार स्थानान्तरित बीयर की मात्रा का आंकलन, किण्वन/ब्राइट बीयर टैंक एवं संचयन / सर्विस टैंक के मध्य लगे फ्लो मीटर से किया जायेगा, जिसे अग्रतर टैंक के साथ लगे केलीब्रेटेड गेज से विधिमान्य किया जायेगा। उक्त फ्लो मीटर, आबकारी विभाग की ताले एवं कुंजी के अधीन होगा। इस प्रकार मापित एवं स्थानान्तरित की गयी बीयर की मात्रा, प्रपत्र एम०बी० 8 क में अभिलिखित की जायेगी। आबकारी शुल्क प्रपत्र एम०बी० 8 क में इस प्रकार अभिलिखित मात्रा के आधार पर प्रभारित किया जायेगा। संचयन टैंकों में तैयार उत्पादों को स्थल पर उपभोग हेतु जैसे और जब अपेक्षित हो स्थानान्तरित किया जायेगा।

74-लघु यवासवनी हेतु आबकारी शुल्क एवं अन्य उग्रहण (6 वां संशोधन)

आबकारी शुल्क ऐसे दरों पर संदत्त किया जायेगा, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

75-लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही विक्री अनुज्ञात होगी- (6 वां संशोधन)

(1) लाइसेंसधारी केवल लाइसेंस में विनिर्दिष्ट परिसर में ड्राट बीयर की विक्री करेगा।

(2) लाइसेंस अवधि के दौरान लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई परिर्वतन या परिवर्द्धन आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।
(3) लाइसेंसप्राप्त परिसर को लाइसेंस अवधि के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। तथापि यदि होटल एवं रेस्टोरेन्ट के मूल लाइसेंस प्राप्त परिसर में परिवर्तन की अनुज्ञा दी जाती है तो प्रपत्र एम.बी.-1 में लाइसेंस प्राप्त परिसर में परिर्वतन पर विचार आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकता है।

नियम 76.

76-लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस प्राप्त परिसर का लाइसेंस और उसकी योजना को प्रदर्शित किया जाना- (6 वां संशोधन)

लाइसेंस के प्रारूप को लाइसेंसप्राप्त परिसर में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा। लाइसेंसधारी को निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन हेतु लाइसेंस प्राप्त परिसर का अनुमोदित मानचित्र योजना प्रदर्शित करना होगा।

77- लघु यवासवनी में व्यापार के घन्टे-- (6 वां संशोधन)

(1) लाइसेंसघारी बार लाइसेंस में विनिर्दिष्ट समय में रेस्टोरेन्ट से भोजन की आपूर्ति के साथ व्यापार कर सकता है।
(2) परन्तु यह और कि आबकारी आयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन से लाइसेंस अवधि के दौरान व्यापार के घंटों में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है और लाइसेंसधारी इस प्रकार परिवर्तित समय का अनुपालन करेगा।

नियम **78. -- (6 वां संशोधन)**

लाइसेंसधारी की मृत्यु होने की दशा में लाइसेंस को उसके विधिक वारिसों उत्तराधिकारियों के नाम से नामांतरित किया जा सकता है, यदि लाइसेंस नामांतरण हेतु उनके द्वारा किये गये आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् वे अन्यथा अनुपयुक्त नहीं पाये जाते हैं। विधिक वारिस / उत्तराधिकारी, लाइसेंसारी की मृत्यु के 30 दिवस के भीतर लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंस जारी रखने हेतु आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकते हैं। आबकारी आयुक्त अपने विवेक पर मृत लाइसेंसधारी के विधिक वारिसों / उत्तराधिकारियों के नाम से लाइसेंस को जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

79-ड्राट बीयर कतिपय व्यक्तियों को न दिया जायेगा या न बिक्रीत किया जायेगा- -- (6 वां संशोधन)

21 वर्ष की आयु से नीचे के व्यक्तियों को ड्राट बीयर न तो दी जायेगी या न बिक्रीत की जायेगी।

80- लघु यवासवनी में मानक मापों का रखा जाना--- (6 वां संशोधन)

लाइसेंसधारी केवल मानक मापों का प्रयोग करेगा, जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये। मापक उपकरण, बाट एवं माप विभाग द्वारा सम्यक रीति से स्टाम्पित होना चाहिए।

81-लघु यवासवनी के लाइसेंस प्राप्त परिसर में कतिपय कृत्यों का प्रतिषेध ---
(6 वां संशोधन)

किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत परमिट / लाइसेंस के होते हुए भी लाइसेंस प्राप्त परिसर में जुआ खेलना, नाच गाना करना अथवा दुष्प्रेरण, अस्तव्यस्तता या अश्लीलता सम्बन्धी अन्य कृत्य करना दृढतापूर्वक प्रतिषिद्ध है।

82 लघु यवासवनी में सेवकों को नियोजित किया जाना (6 वां संशोधन)

(1) ड्राट बीयर की बिक्री हेतु किसी महिला की नियुक्ति नही की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पुरुष नियुक्त किये जायेंगे। इस प्रयोजनार्थ सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र जारी किया जायेगा।
(2) प्राधिकृत अभिकर्ता या सेवक का प्रत्येक कृत्य लाइसेंसधारी का कृत्य समझा जायेगा। लाइसेंसधारी उन्मादी कार्य के लिये उत्तरदायी होगा।

83-लघु यवासवनी में अनुज्ञापी द्वारा लेखा-जोखा का रखा जाना-(6 वां संशोधन)

प्रत्येक लाइसेंसधारी दैनिक उत्पादन एवं बिक्रय का पूरा एवं सही लेखा-जोखा एम.बी. - 9 प्रपत्र में अनुरक्षित करेगा जो क्रमांक में सख्यांकित किये जायेंगे एवं प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी की मुहर लगी होगी। वह आबकारी आयुक्त द्वारा यथाअपेक्षित अन्य विवरण रखेगा और प्रत्येक माह के 5वें दिनांक के पूर्व विवरण आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक को प्रेषित करेगा। समस्त पंजिकायें जिला आवकारी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित होनी चाहिए।

84-लघु यवासवनी के दैनिक लेखा पंजी में प्रविष्टियां- -(6 वां संशोधन)

लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी अथवा आबकारी विभाग के किसी अन्य अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, द्वारा मांग किये जाने पर कोई भी लेखा विवरण सांख्यिकी या कोई अन्य विशिष्टियां उसे ऑनलाइन अथवा हस्त चालन के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

85 लघु यवासवनी के परिसर का निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी – -(6 वां संशोधन)

आबकारी निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी लाइसेंस प्राप्त परिसर में कार्यशील घंटो में प्रवेश कर सकता है एवं उसकी जाँच कर सकता है तथा समस्त लेखाओं, पंजिकाओं एवं स्टाकों का निरीक्षण तथा सत्यापन कर सकता है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी ऐसे नमूनों, जैसा कि आवश्यक हो, को लेने के लिए अथवा ऐसे अभिलेखों एवं पंजिकाओं, जो आवश्यक हों, का प्रभार ग्रहण करने हेतु सक्षम होगा और लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऐसे निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण करने, सत्यापन करने एवं नमूना लेने हेतु युक्तियुक्त सहायता प्रदान करें। परिसर से कोई अभिलेख हटाये जाने पर आबकारी अधिकारी को उसकी रसीद देनी पड़ेगी और इस सम्बन्ध में निरीक्षण पुस्तिका में प्रविष्टि करनी होगी।

86-लघु यवासवनी में निरीक्षण पुस्तिका का अनुरक्षित किया जाना- -(6 वां संशोधन)

निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के प्रयोग हेतु एक निरीक्षण पुस्तिका, प्रपत्र एम.बी.- 10 में रखी जायेगी और इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए लाइसेंसधारी उत्तरदायी होगा। निरीक्षण पुस्तिका राजकीय सम्पत्ति होगी और लाइसेंस अवधि समाप्ति होने पर इसे सम्बन्धित आबकारी अधिकारी को सौप दी जायेगी।

87-लघु यवासवनी लाइसेंस समाप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी को अभ्यर्पित किया जाना- -(6 वां संशोधन)

इस नियमावली के अधीन स्वीकृत प्रत्येक लाइसेंस समाप्त होने पर लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारी को अभ्यर्पित किया गया समझा जायेगा।

88 लघु यवासवनी के कठिनाइयों का निवारण -(6 वां संशोधन)

यदि आवेदन अथवा इस नियमावली के किसी निर्वचन के सम्बन्ध में कोई सन्देह या विवाद उत्पन्न होता है तो उसपर आबकारी आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रपत्र एम.बी.-1
(नियम 63 (7) देखे)
लघु यवासवनी चलाये जाने हेतु लाइसेंस

अक्षांश देशान्तर परिसर की चौहद्दी-
पूर्व
पश्चिम.
उत्तर
दक्षिण,

लाइसेंसधारी की फोटो

लाइसेंस धारक (लाइसेंसधारियों) का / के नाम

यह लाइसेंस एतद्वारा. ..----------.निवासी (निवासीगण) को ड्राट बीयर के उत्पादन एवं उसे परोसने हेतु परिसर ....---------- ---- में उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली 2019 के उपबन्धों तथा निम्नलिखित शर्तों तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु समय-समय पर बनाये गये ऐसे अन्य नियमों तथा बीयर के उत्पादन, विकी, आपूर्ति एवं कीमतों को नियंत्रित किये जाने के अध्यधीन स्वीकृत किया जाता है। एतपूर्व संख्यांकित किसी नियम के व्यतिक्रमण में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन यथाविहित अन्य शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस का समपहरण किया जाना सम्मिलित होगा।

यह लाइसेंस आबकारी वर्ष ..----------के लिए विधिमान्य होगा।

लघु यवासवनियां, निम्नलिखित आबकारी वर्ष हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को या इससे पूर्व अपने लाइसेंसों को नवीनीकरण हेतु आवेदन करेंगी।

शर्तें

(1) लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के उपबंधों और तदधीन जारी अधिसूचनाओं तथा आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(2) लाइसेंसधारी उत्पादन, संचय एवं परोसने को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों एवं आदेशों का अनुपालन करेगा।

(3) लाइसेंसधारी अपनायी जाने वाली बीयर के उत्पादन की प्रकिया और उत्पदित किये जाने एवं परोसने हेतु बीयर के मानकों तथा गुणवत्ता के सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(4) लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सेक्रोमीटर एवं थर्मामीटर यवासवनी में वाश का घनत्व मापने के लिये उपलब्ध करायेगा। ड्राट बीयर की तीव्रता मापने के लिए एक हाइड्रोमीटर भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाने वाली उत्पादित बीयर में अल्कोहल अतवस्तु 8% वी० /वी० से अधिक नहीं होगी।

(6) परिपक्वता स्तर तक ब्रू का पी.एच., तापमान एवं विनिर्दिष्ट घनत्व प्रपत्र एम.बी-8 में अभिलिखित किया जाना चाहिए और वह निरीक्षण के अध्यधीन होगा, जैसा और जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा भाग किया जायेगा, उसे उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) परिसर को समुचित वातायन तथा प्रकाश व्यवस्था सहित साफ सुथरा रखा जायेगा और यह समस्त प्रकार की उपर्युक्त सुरक्षा तथा आपात मानकों के अनुरूप होगा और साथ ही साथ ग्लास, परोसने की मेज आदि सहित बीयर वितरण प्रणाली को स्वास्थ्य की दृष्टि से सदैव अनुरक्षित रखा जाय।

(8) संचय सुविधा एवं परिसर में समय-समय पर धूमीकरण प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा और उसे अभिलेखों मे उल्लिखित किया जायेगा।

(9) किसी भी दशा में नाबालिगों को बीयर या अन्य अल्कोहलिक पेय परोसा नही जायेगा । (10) लाइसेंस फीस एवं यथाविनिर्दिष्ट आबकारी शुल्क का संदाय अग्रिम रूप में किया जायेगा

(11) लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट रूप से रजिस्ट्रीकृत बीयर के सिवाय अन्य किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा।

(12) लघु यवासवनी में निकासी से संबंधित लेन-देन का लेखा जोखा, आबकारी आयुक्त द्वारा यथाअपेक्षित रूप में अनुरक्षित किया जायेगा।
(13) लाइसेंसधारी बीयर के उत्पादन एव विक्री से सम्बन्धित यथाअपेक्षित आंकड़ा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर ऑनलाइन या हस्तलाघवता पूर्वक उपलब्ध कराया जायेगा।
(14) नियमावली या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आबकारी आयुक्त लाइसेंसधारी को एक पखवाड़े की सूचना देने के पश्चात् लाइसेंस को निलम्बित या रद्द कर सकता है। लाइसेंसधारी इस प्रकार के निलम्बन या रद्दकरण पर किसी भी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।
(15) लघु यवासवनी की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिदिन ब ली० और किसी वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर लाख वली० से अधिक नहीं होगी।
(16) इस प्रकार उत्पादित ड्राट बीयर को न बोतलों में भरा जायेगा और न ही परिसर से बाहर उसकी बिक्री की जायेगी। ड्राट बीयर को गिलास / पिचर में परोसा जायेगा।
(17) संचय टैंकों से तैयार उत्पाद को उपभोग के स्थान हेतु जब आवश्यकता होगी, निकाला जायेगा।
(18) लघु यवासवनी में उत्पादित बीयर की शेल्फ लाइफ 72 घन्टे होगी।
(19) लाइसेंसधारी को लघु यवासवनी संयन्त्र वाले कक्ष में ऐसा सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित करना पड़ेगा, जिसे आबकारी मुख्यालय से आई.पी. एड्रेस के माध्यम से अनुश्रवण किया जा सके।
(20) लाइसेंसधारी आबकारी विभाग के विनिर्दिष्ट वेब साइट पर सुसंगत सूचना एवं लेखा-जोखा ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।
प्रयागराज दिनांक.....20

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश ।

प्रपत्र एम.बी. -7
(नियम 63 (10) देखे)
लाइसेंस एम.बी.- 1 के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र
सेवा में,
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
द्वारा कलेक्टर
महोदय,
1- मैं / हम पुत्र श्री .----------.निवासी जिला.. ----------में उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली 2019 के नियम 63 (10) के अधीन लघु यवासवनी को कार्य किये जाने हेतु स्थान / मुहल्ला. ..----------जिला ....---------- में स्वीकृत लाइसेंस को एतद्वारा नवीकरण हेतु आवेदन करता हूँ करते हैं। लाइसेंस नवीकरण के अनुमोदन के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है -
2-बार लाइसेंस की सूचना
3- परिसर का सम्पूर्ण क्षेत्रफल (वर्ग मी० मे)
4- लघु यवासवनी के स्थित होने के स्थान एवं नाम का विवरण
5-क्या प्रदूषण नियत्रण बोर्ड एवं जल उपभोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया
6-पात्रों एवं अन्य स्थापित उपकरणों का विवरण है।
7- लघु यवासवनी की प्रति दिन /प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता
8-क्या आवेदक द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में विहित लाइसेंस फीस जमा किये जाने का ट्रेजरी चालान संलग्न किया गया है।

9-प्रत्येक कक्ष, स्थान एवं पात्र का सम्पूर्ण विवरण
10-मूल ले आउट एवं मानचित्र
11- क्या आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से कोई परिवर्तन /परिवर्द्धन / उपांतरण किया गया है, यदि हां आदेश की संख्या एवं दिनांक
स्थान
दिनांक

आवेदक का नाम
आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र एम.बी -2
(नियम 63 (1) देखे)
लघु यवासवनी स्थापना हेतु आवेदन-पत्र
1-आवेदक का नाम पूरा पता सहित
2-बार लाइसेंस का विवरण प्रपत्र
3-परिसर का सम्पूर्ण क्षेत्रफल वर्ग मी० में
4-सम्पूर्ण कुर्सी का क्षेत्रफल वर्ग मी० में
5-डायनिंग हाल का क्षेत्रफल वर्ग मी० में
6-पार्किंग क्षेत्रफल वर्ग मी० में
7- निवेश की जाने वाली प्रस्तावित पूंजी की मात्रा
8- पूंजी संरचना
(क) लिमिटेड कम्पनी होने की दशा में
[1] प्राधिकृत
2- निर्गत
[3] संदत्त
[4] ऋण,यदि कोई हो
(ख) अन्य प्रकरण में
[1] पूँजी
[2] ऋण, यदि कोई हो
(ग) निवेश का विवरण
[1] नियत आस्तियां
(i) भूमि
(ii) भवन
(iii) प्लान्ट या मशीनरी
(iv) अन्य, यदि कोई योग
[2] कार्यकारी पूंजी
9- लघु यवासवनी के स्थित होने के स्थान का नाम एवं विवरण अक्षांश एवं देशान्तर सहित 10-क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा की गयी है

11-पात्रों का विवरण तथा अन्य स्थायी उपकरण
12-लघु यवासवनी की प्रति दिन / प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता
13-क्या आवेदन के साथ विहित प्रक्रियात्मक फीस जमा किये जाने हेतु ट्रेजरी चालान संलग्न है, यदि हों तो चालान संख्या एवं दिनांक
14- प्लान्ट / मशीनरी का विवरण प्लान्ट / मशीनरी की कीमत शीतलन इकाई सहित
(1) आयात की जाने वाली आयातित उद्भव
(2) स्वदेशी उद्भव
15-उत्पादन के लिए कच्चा माल
(1) हाप्स सहित कच्चे माल का वार्षिक परिमाण तथा उसका मूल्य [क] प्रतिवर्ष आयात किया जाने वाला या आयातित उद्भव [ख] प्रतिवर्ष स्वदेशीय उद्भव
(2) निर्माण के लिए प्रस्तावित बीयर के निर्माण में प्रतिवर्ष अपेक्षित जौ एवं माल्ट का परिमाण तथा उसका मूल्य
16-जल एवं विद्युत की आवश्यकता
17-प्रक्रिया
(1) आवश्यकता का विवरण
(2) क्या आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।
(3) क्या पानी की गुणवत्ता बीयर उत्पादन हेतु उपयुक्त है
(क) निर्माण की संक्षिप्त प्रकिया
(ख) निर्माण किये जाने के लिए प्रस्तावित उत्पाद का स्तर एवं परिमाण
18-तकनीकी सहायता क्या कोई विदेशी सहयोग या जानकारी परिकल्पित है और यदि ऐसा है तो कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है।
19-समय के सम्बन्ध में पूर्वानुमान
20-- (क) प्रपत्र एम.बी. 5 में लाइसेंस जारी होने के पश्चात् भूमि, भवन तथा अन्य स्थान प्राप्त करने के लिए समय.....
(ख) लाइसेंस दिये जाने के पश्चात मशीनरी परिनिर्माण तथा उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित समय
(क) निर्माण का मद
(ख) वार्षिक परिमाण (मैट्रिक माप)
(ग) किण्वन गृह एवं बैच साइकिल समय के आधार पर वार्षिक क्षमता की गणना सम्बन्धी विवरण
21- सेवायोजन की सम्भावना
(1) पर्यवेक्षी
(2) कुशल
(3) अकुशल
22- (क) आबकारी राजस्व का कोई बकाया न होने का
(ख) सरकार से अपेक्षित कोई विशेष सुविधा
(ग) योजना की रूप रेखा यदि कोई हो

आवेदक का नाम,
आवेदक का हस्ताक्षर
दिनांक

प्रपत्र एम.बी. 3
(देखे नियम 63 (1) (सात)

घोषणा पत्र

1-मैं / हम घोषणा करते हैं कि आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण सही हैं।
2- मैं / हम संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली अथवा किसी अन्य विधि के अधीन संज्ञेय अपराधों या अजमानतीय अपराधों में दण्डित नहीं किया गया हूँ / नहीं किये गये हैं।
3-मै / हम उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली 2019 का जिसके अधीन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है, की शर्तों से भली भांति भिज्ञ हूँ/ हैं।
4- मै / हम लाइसेंस की शर्तों एवं संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के उपबन्धों एवं इसके अधीन बनाये गये नियमो एवं शर्तों का पालन करने हेतु वचन करता / करते हूँ / हैं।
स्थान
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र एम.बी.-4
(नियम 63 (1) (आठ) देखे)
बचन पत्र
मैं/हम----------पुत्र----------निवासी----------एतद्वारा यह वचन करता हूँ हैं कि समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित रूप से निर्धारित समय के भीतर मानकों के अनुसार उपकरणों की स्थापना, उत्पादों की गुणवता एवं विशिष्टियां बनाये रखने हेतु परिनिर्मित करूँगा / करेंगें।
स्थान
दिनांक

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

प्रपत्र एम.बी-5
(नियम 63(3) देखे)
लघु यवासवनी स्थापना हेतु लाइसेंस की स्वीकृति

आवेदक/आवेदकों श्री----------पुत्र श्री---------- निवासी---------- एतद्वारा रू० 50000 (पचास हजार रूपये मात्र) भुगतान किये जाने पर जिला---------- में उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 2019 मे अन्त्तविष्ट उपवन्धों और आबकारी राजस्व की सुरक्षा तथा बीयर

के उत्पादन को नियंत्रित किये जाने हेतु समय-समय पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसे अन्य नियमों के अध्यधीन लघु यवासवनी स्थापित किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। एतपूर्व वर्णित किन्हीं नियमों के व्यतिक्रम करने पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 में यथावर्णित ऐसी अन्य शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस समपहृत हो जायेगा, को

लाइसेंस----------(इस लाइसेंस के जारी किये जाने के दिनांक से) एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा। लघु यवासवक, इस लाइसेस की अवधि को बढ़ाने के लिए उसकी अवधि समाप्त होने के कम से कम तीस दिन पूर्व आबकारी आयुक्त को आवेदन करेगा।

प्रयागराज

दिनांक

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश

प्रपत्र एम.बी -6

(नियम 63 (6) देखे)

लघु यवासवनी चलाये जाने हेतु प्रपत्र एम. वी.- 1 में लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र

सेवा में

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश प्रयागराज

द्वारा कलेक्टर महोदय,

1- में हम ---------- पुत्र श्री ---------- निवासी-------- जिला---------- उत्तर प्रदेश में एतद्वारा उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली 2019 के नियम 63 (6) के अधीन लघु यवासवनी चलाये जाने हेतु लाइसेंस के लिए आवदेन करता हूँ / करते है।

2- लघु यवासवनी स्थापना के लिए प्रयोग किये गये उपकरणों / पात्रों की सूची बीजक सहित संलग्न है।

3- लाइसेंस स्वीकृत किये जाने की दशा में आवेदक पर लघु यवासवनी में कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता है / करते हैं।

4-आवेदक (क) लघु यवासवनी या उसके कार्य संचालन के सम्बन्ध में प्रयोज्य नियमों के उपवन्धों और (ख) उन शतो जो आवेदित लाइसेंस में दर्ज की जाये, अनुपालन करने का वचन देता है / देते हैं।

5- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र, स्थानीय जल उपभोग एवं खाद्य संरक्षा एव मानक प्राधिकरण भारत से प्राप्त लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण संलग्न है।

6 कोई अतिरिक्त नक्शा/अनुमान या सूचना जो अपेक्षित हो, शीघ्र दी जायेगी।

7-आवेदक राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित प्रतिभूति धनराशि जमा करने के लिए तैयार है /हैं।

स्थान

दिनाक

आवेदक का नाम
आवेदक का हस्ताक्षर